

Real Estate Regulatory Authority, Bihar

4th & 6th Floor, Bihar State Building Construction Corporation Campus
Hospital Road, Shastri Nagar, Patan- 800023 &
2nd Floor, T.E. Building, Patel Nagar, Patna-800023

आदेश

मेसर्स अग्रणी होम्स रियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, पटना के "पाटलीपुत्र इन्क्लेम प्रोजेक्ट" के विरुद्ध भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, पटना के समक्ष दायर शिकायतवाद में पारित आदेशों के विरुद्ध मेसर्स अग्रणी रियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, पटना के द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को पाटलीपुत्र इन्क्लेम प्रोजेक्ट से संबंधित उन्नयन मनोबंध विलेख (Development Agreement Decd) संख्या-513 दिनांक-24.01.2017 के निबंधन को निरस्त करने के पश्चात् रू० 30,00,000/- (रू० तीस लाख) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया।

2. "पाटलीपुत्र इन्क्लेम प्रोजेक्ट" के विरुद्ध दायर निम्नांकित वाद के शिकायतकर्ता को तत्काल उपलब्ध राशि में से उनके द्वारा जमा की गयी राशि का 50 % राशि वापस (Refund) करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	शिकायत वाद संख्या	वादी का नाम	परित आदेश के आलोक में प्रतिदाय (Refund) की राशि	वर्तमान में वापसी भुगतान की जा रही राशि
1	2	3	4	5
1	CC/720/2019	श्री साहेब लाल सिंह	16,00,000	8,00,000
2	CC/80/2021	सुश्री स्नेहा कुमारी	3,00,000	1,50,000
3	CC 81/2021	श्री सतीश कुमार सिन्हा	1,50,000	75,000
4	CC/104/2021	श्री आजाद अहमद	4,72,526	2,36,263
5	CC/910/2020	श्री विकास कुमार सिन्हा	4,00,000	2,00,000
6	CC/911/2020	श्री राजीव रंजन प्रभाकर	3,25,000	1,62,500
7	CC/1060/2020	सुश्री बबीता सिन्हा	6,00,000	3,00,000
8	CC/1093/2020	श्री सुमित कुमार	5,00,000	2,50,000
कुल :-				21,73,763

3. संबंधित शिकायतकर्ता को आदेश दिया जाता है कि वे अपना बैंक एकाउन्ट संख्या, बैंक शाखा के नाम एवं IFSC Code रera के लेखा शाखा में उपलब्ध करायें।

4. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना के लेखा शाखा द्वारा उचित पहचान पत्र प्राप्त कर संबंधित वादियों के बैंक खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जायेगा।

5. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०
सचिव
रेरा, बिहार

ज्ञापांक:- RERA/TE/Regn/88/2021 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा० लि०, पटना / श्री साहेब लाल सिंह / सुश्री स्नेहा सिन्हा / श्री सतीश कुमार सिन्हा / श्री आजाद अहमद / श्री विकास कुमार सिन्हा / श्री राजीव रंजन प्रभाकर / सुश्री बबीता सिन्हा / श्री सुमित कुमार (वादी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी वादियों से अनुरोध है कि वे अपना उचित पहचान के लिये अपना आधार कार्ड का छाया प्रति एवं बैंक खाता की सूचना प्राधिकारण के लेखा शाख को उपलब्ध करावें, ताकि स्वीकृत राशि का भुगतान किया जा सके।

ह0
सचिव
रेरा, बिहार

RERA/TE/Aggrani/joint affd/38/2021-22

ज्ञापांक:- 86 / पटना, दिनांक 20.05.2022


प्रतिलिपि प्राधिकारण के सदस्य/अध्यक्ष कोषांग/वरीय विधि परामर्शी/ श्री शशि भूषण प्रसाद सिन्हा, रोकड़पाल-सह-लेखापाल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0
सचिव
रेरा, बिहार

RERA/TE/Aggrani/joint affd/38/2021-22/86

ज्ञापांक:- / पटना, दिनांक 20.05.2022

प्रतिलिपि प्राधिकारण के आई0टी0 कन्सलटेंट को सूचनार्थ एवं प्राधिकारण के साईट पर प्रचारण के लिये प्रेषित।


सचिव
रेरा, बिहार
